उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज

संविदा के आधार पर चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार हेतु अधिसूचना

उत्तर मध्य रेलवे द्वारा 08 (आंठ/सी.एम्.पी) चिकित्सको (सामान्य) को एक वर्ष की अवधि के लिए करार के आधार पर पूर्ण कालीन तौर पर नियुक्त करने हेतु निम्नलिखित विवरण के आधार पर "ओपन मार्केट" के चिकित्सकों एवं केंद्र सरकार/राज्य सरकार/भा.रे.चिकि.से.(रेलवे) के सेवानिवृत चिकित्सकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

रिक्तियों की संख्या-08

क्र.सं.	स्पेशलिस्ट/सा0 ड्यूटी	पदों की संख्या	पदस्थापना का स्थान
1.	सामान्य ड्यूटी	01	हेल्थ यूनिट, मानिकपुर/नैनी
2.	सामान्य ड्यूटी	02	उप मंडलीय चिकित्सालय, कानपुर
3.	सामान्य ड्यूटी	01	उप मंडलीय चिकित्सालय, टुंडला
4.	सामान्य ड्यूटी	02	हेल्थ यूनिट, इटावा
5.	सामान्य ड्यूटी	01	मंडल चिकित्सालय,प्रयागराज
6.	सामान्य ड्यूटी	01	हेल्थ यूनिट, चुनार

पदों का विभाजन निम्नलिखित हैं:-

	अनु0 जाति	अनु0 ज0 जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	कुल
सी.एम्.पी.	01	00	02	05	08

साक्षात्कार एवं चिकित्सा परीक्षा की तिथि समय एवं स्थान:-

अभ्यर्थी को निम्नलिखित तिथि समय एवं स्थान पर साक्षात्कार हेतु उपलब्ध रहना होगा:-

साक्षात्कार	दिनांक	समय
मंडल चिकित्सालय,प्रयागराज	06.12.2023 (बुधवार)	10 AM

यदि किसी कारणवश संबंधित कोटियों के अभ्यर्थीयों का साक्षात्कार निर्धारित तिथि पर संपन्न नहीं हो पता तो उनका साक्षात्कार अगले कार्यदिवस पर लिया जाएगा। तदनुसार अभ्यर्थीयों को दो दिन रूकने हेतु स्वयं की व्यवस्था करके आना चाहिए।

शैक्षिक योग्यता : किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस/ बीडीएस की डिग्री और आवश्यक इंटरनशिप पूर्ण होनी चाहिए। अभ्यर्थी के पास वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए।

ओपन मार्केट के डॉक्टरों को देय मानदेय :- यदि सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता हैं तो रूपया 75,000/- जनरल ड्यूटी प्रतिमाह, यदि सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाता है,तो हाउस रेंट अलाउंस एवं लाइसेंस फीस के बरावर की रकम की कटौती की जाएगी।

केंद्र सरकार/राज्य सरकार/भा.रे. चिकि.से.(रेलवे) के सेवानिवृत्ति चिकित्साकों को देय मानदेय:-

यदि सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तब रूपया 75000/- जनरल ड्यूटी प्रतिमाह , (बशर्ते कि मानदेय + सेवानिवृत्त डॉक्टरों द्वारा प्राप्त किये जाने वाला पेंशन उनके अंतिम पे डॉन से अधिक नहीं होना

चाहिए)। यदि सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाता है तो ग्रुप ए कनिष्ट वेतमान के अधिकारीयों को देय हाउस रेंट अलाउंस और रेलवे आवास के लाइसेंस फीस के बराबर की रकम की कटौती सी. एम्.पी. के मासिक मानदेय से की जायेगी।

<u>ओपन मार्केट के चिकित्साकों हेतु आयु:-</u> उम्मीदवार की आयु नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए किन्तु अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के लिए 05 वर्ष तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 03 वर्ष की छूट है ।

<u>केंद्र सरकार/राज्य सरकार/भा.रे. चिकि.से.(रेलवे) के सेवानिवृत्ति चिकित्साकों हेतु आयु :-</u> उम्मीदवार की आयु नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि को 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

<u>ओपन मार्केट में चिकित्सकों हेतु नियम व शर्तें:-</u> डॉक्टरों का अनुभव प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगा, जो प्रशासनिक जरूरत के आधार पर सी.एम.पी. के कार्य क्षमता के आधार पर 12 (बारह) वर्ष की अवधि तक अथवा 65 साल की आयु पूर्ण होने पर जो भी पहले हो, बढ़ाया जा सकता है। अनुवंध का प्रत्येक टर्म एक वर्ष से अधिक अवधि का नहीं होगा इसके साथ इन डॉक्टरों की सेवाएं एक वर्ष की अवधि से पूर्व भी 15 दिन की नोटिस द्वारा दोनों में से किसी भी पक्ष की तरफ से समाप्त की जा सकती है। रेलवे प्रशासन द्वारा 15 दिनों की नोटिस की परिस्थिति में तत्काल प्रभाव से 15 दिन के बराबर मानदेय दिया सकता है। करार के आधार पर इन डॉक्टरों द्वारा दी गई सेवाएं एक वैकल्पिक व्यवस्था है और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित चयन के मामले में इस अवधि को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। इससे रेल सेवा में नियमित अथवा समाहित होने का अधिकार भी नहीं होगा । यदि कोई सी.एम.पी. मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम पाया जाता है तो उसे समय भी उसकी संविदा समाप्त कर दी जाएगी । **<u>प्राइवेट प्रैक्टिस</u>** की अनुमति नहीं है ।

<u>केंद्र सरकार/राज्य सरकार/भा.रे. चिकि.से.(रेलवे) के सेवानिवृत्ति चिकित्साकों हेतु नियम एवं शर्ते :-</u> सेवानिवृत्ति डॉक्टरों का सी.एम.पी .के रूप में अनुबंध अधिकतम 7(सात) टर्म अथवा 67 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर जो भी पहले हो, तक होगा और प्रत्येक टर्म की अवधि एक वर्ष के लिए होगी तथा प्रत्येक टर्म के लिए नया अनुबंध किया जायेगा। अनुबंध की तिथि से अनुबंध की अवधि एक वर्ष अथवा कम होगी । अनुबंध की अवधि किसी भी आधार पर आगे नहीं बढ़ाई जाएगी यद्यपि रेलवे प्रशासन को यह अधिकार होगा कि वह केंद्र सरकार/राज्य सरकार/ भा.रे. चिकि.से.(रेलवे) के सेवानिवृत चिकित्सकों को दूसरी बार नई संविदा हेतु नियोजन करने हेतु विचार करें । यदि अनुबंध पर से निविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए या नियमित डॉक्टर के ज्वाइन करने तक अथवा केंद्र सरकार/राज्य सरकार/ भा.रे. चिकि.से.(रेलवे) के सेवानिवृत चिकित्सकों के 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर जो भी पहले होगा । सी.एम.पी. के रूप में अनुबंध किए गए केंद्र सरकार/राज्य सरकार/ भा.रे. चिकि.से.(रेलवे) के सेवानिवृत चिकित्सकों के पास अपनी सेवाओं को निरंतर करने करने अथवा टर्म को स्वत: आगे बढ़ाने संवंधित कोई दवा इत्यादि करने का किसी भी तरह का अधिकार नहीं होगा । संविदा की वैधता की अवधि में संविदा के आधार पर डॉक्टर को संविदा अवधि में किसी भी समय यह छूट होगी कि वह अपने करियर की वेहतरी के लिए अथवा अन्य किसी आधार पर रेलवे प्रशासन को 15 दिन की अग्रिम सूचना देकर संविदा खत्म कर सकता है, रेलवे प्रशासन भी संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय 15 दिनों की पूर्व सूचना देकर डॉक्टरों को बिना किसी कारण को परिभाषित किया संविदा की समाप्ति कर सकता है । यदि कोई सी.एम.पी. मानसिक या शारीरिक रूप से असक्षम पाया जाता है तो उस समय भी उसकी संविदा समाप्त कर दी जाएगी । प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं है।

आवश्यक सूचना:-

(1) करार के आधार पर नियुक्ति डॉक्टर आधिकारिक रूप से रेलवे क्वार्टर के हकदार नहीं होंगे फिर भी आवासों की उपलब्धता पर उन्हें आवास की व्यवस्था की जा सकती है। रेलवे के साथ करार के दौरान उनकी ड्यूटी के संबंध में विस्तृत निर्देश उनके चयनित हो जाने किस पर नियुक्त पत्र के साथ दिया जाएगा।

(2) इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन सभी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्रों की मूल एवं सत्यापित छाया प्रति के साथ संग्लन प्रारूप में पूर्ण रूप से भरकर साथ लाये,साक्षात्कार के लिए कोई दैनिक महंगाई/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(3) प्रशासनिक हित में यदि आवश्यक हुआ तो चयनित अभ्यर्थीयों को भविष्य में कभी भी किसी भी हेल्थ यूनिट से किसी भी हेल्थ यूनिट जोकि प्रयागराज मंडल के क्षेत्राधिकार में स्थित में' स्थानान्तरण करने का अधिकार प्रशासंन के पास सुरक्षित होगा। रेलवे प्रशासन, आवश्यकता पड़ने पर करार के आधार पर चयनित विशेषज्ञ चिकित्सकों से उनके विशेष कार्यो के अतरिक्त सामान्य ड्यूटी का कार्य भी करा सकता है।

(4) यदि विशेषज्ञों के पद पर अभ्यर्थी नहीं पाए जाते है, तो उनके पदों को सामान्य ड्यूटी के डॉक्टर के पदों से भरा जाएगा।

(5) प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार विज्ञप्ति रिक्तियों के स्थान एवं संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

(6) अधिसूचना की प्रति उत्तर में रेलवे की वेबसाइट www.ncr.indianrailways.gov.in **About us → Division → Prayagraj Division → Personnel** से अपलोड की जा सकती है।

(7) सक्षम प्राधिकारी के द्वारा पैनल अनुमोदन के उपरांत उत्तर मध्य रेलवे की वेबसाइट www.ncr.indianrailways.gov.in पर पैनल उसी दिन अपलोड कर दिया जाएगा उपयुक्त पाए गये उम्मीदवारों को स्पीड पोस्ट/रजिस्टर डाक/टेलीफोन/ एस.एम.एस. के द्वारा केंद्रित चिकित्सालय, प्रयागराज में पदस्थापना हेतु निर्धारित तिथि एवं समय की सूचना दी जाएगी। जो उम्मीदवार निर्धारित समय या स्थिति पर रिपोर्ट नहीं करेंगे वे अपनी संविदा का अवसर खो देंगे और उनके स्थान पर अगले इम पैनेल्ड अभ्यर्थी को बुला लिया जाएगा।

(8) चयनित अभ्यर्थियों को जॉइनिंग से पूर्व चिकित्सा परीक्षण करना होगा, साथ ही कांटेक्ट एग्रीमेंट जो कि कार्मिक शाखा द्वारा नोटरी रहेगा, भरना होगा इस संबंध में दिशा-निर्देश अभ्यर्थी के ऑफर आफ इंगेजमेंट में उल्लेखित कर दिया जाएगा।

ओपन मार्केट के चिकित्सकों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,
मंडल रेल प्रबंधक/कार्मिक
मंडल कार्यालय,नवाब युसूफ रोड
उत्तर मध्य रेलवे,प्रयागराज

1. नाम स्पष्ट अक्षरों में...
2. पिता/पति का नाम स्पष्ट अक्षरों में...
3. स्थाई पता...
4. पत्राचार का पता...
5. मोबाइल नंबर वीडियो कॉल हेतु..ई-मेल आईडी...................................
6. जन्मतिथि .... दिन माह वर्ष
7. सेवानिवृत्ति की तिथि(केवल सेवानिवृत्ति डॉक्टर के लिए)...
8. जिस कोटी से हैं (लिखे) सामान्य/अनु0जाति/अनु0ज0जा0/अ0पि0 जा0...
9. राष्ट्रीयता ....
10. क्या आप किसी रेलवे में संविदा चिकित्सा के रूप में कार्य कर चुके हैं यदि हां तो पूर्ण विवरण दें:...
11. शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यता

परीक्षा	परीक्षा पास करने का वर्ष	मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय का नाम	एटेम्प्ट्स की संख्या	अंक		
				पूर्णांक	प्रासांक	प्रतिशत
हाई स्कूल/ समकक्ष						
इंटरमीडिएट/ समकक्ष						
एमबीबीएस प्रथम वर्ष						
एमबीबीएस द्वितीय वर्ष						
एमबीबीएस तृतीय वर्ष भाग-1						
एमबीबीएस तृतीय वर्ष भाग 2						
एमबीबीएस अंकों का संपूर्ण प्रतिशत						
पीजी (एमडी/एमएस/डिप्लोमा सभी पीजी के समतुल्य माने जाएंगे) कृपया विवरण अंकित करें						

12. चिकित्सा परिषद की पंजीकरण संख्या................................ प्रदेश...
13. अनुभव यदि कोई हो...
14. निम्नलिखित प्रमाण पत्र को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है (सत्यापित प्रति के साथ मूल प्रति भी आवश्यक है)
    - हाल ही में पासपोर्ट आकार का एक फोटो
    - जन्मतिथि के लिए प्रमाण पत्र (हाई स्कूल/समकक्ष)
    - सामान्य ड्यूटी अभ्यर्थियों द्वारा एमबीबीएस की डिग्री एवं अंक पत्र(सभी भाग) तथा यदि कोई अन्य उच्चतर मेडिकल योग्यता हो तो उसकी डिग्री/प्रमाण पत्र।
    - इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र।
    - भारत/राज्य के चिकित्सा परिपद का रजिस्ट्रेशन संख्या।
    - एटेम्प्ट प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
    - हाउस जॉब प्रमाण पत्र यदि हो तो।
    - अनु0जाति/अनु0ज0जा0/अ0पि0 जा0 से संबंधित प्रमाण पत्र जो की सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

एत्द्द द्वारा घोपणा करता हूं/करती हूं कि आवेदन में दिए गए विवरण सत्य पूर्ण तथा मेरी जानकारी व विश्वास से सही है, मैं यह जानता हूं/जानती हूं कि यदि यहां दी गई जानकारी में से कोई भी भूल से गलत हो या मैंने कुछ छुपाया हो तो मेरी सेवा समाप्त कर दी जाएगी और मेरे विरुद्ध सिविल अपराधीक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

मैं यह जनता हूं/जानती हूं कि मैं इस साक्षात्कार के लिए किसी भी यात्रा/महंगाई भत्ते की हकदार नहीं।

स्थान...................................

दिनांक.................................. उम्मीदवार के हस्ताक्षर